

22 / 10 / 2019

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिवक्ता को 3 बार आवाज दिलायी गयी। यह बावजूद सूचना के आज न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं। वहीं अधिवक्ता वादी पर्याप्त अवसर के बाद भी प्रतिवादीगण 1, 2 क तलबाना पेश करने में विफल रहे हैं। दिनांक 13.08.19 को भी अधिवक्ता वादी को प्रतिवादीगण 1, 2 की तलबी हेतु 3 दिन में तलबाना पेश करने हेतु आदेशित किया गया था किन्तु अधिवक्ता वादी ने आदेश की पालन नहीं की है।

अतः वादी अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।



उपस्थित अधिकारी
बावपुर चिन्ना झालावाड़
(राजस्थान)

